विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2021

फा.क्र.4384—इक्कीस—ब(एक)—2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- 1. नियम 3(2)(क) एवं नियम 16 (क) को छोड़कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में सभी जगह,—
 - "(i) शब्द ''व्यवहार न्यायाधीश'', जहां कहीं वे आएं हो, के स्थान पर, शब्द ''व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड,'' स्थापित किए जाएं.
 - (ii) शब्द ''वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश'', जहां कहीं वे आएं हो, के स्थान पर, शब्द ''व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड,'' स्थापित किए जाएं.''.

F.No.3645-XXI-B(One)-2021.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- 1. Except Rule 3(2) (a) and Rule 16(a) thrughtout in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994,—
 - "(i) For the words "Civil Judge" wherever they occur, the words "Civil Judge, Junior Division" shall be substituted.
 - (ii) For the words "Senior Civil Judge, wherever they occur, the words "Civil Judge, Senior Division" shall be substituted.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.